न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2/2017/75 (2017/00002)

1. बाबू पुत्र मुकना, जाति हरिजन, निवासी गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर जिला, अजमेर ।
2. सुरेश कुमार,
3. सुगनचन्द,
   पुत्रान औंकारलाल भगत मेघवंशी,
4. श्रीमती ज्योतिदेवी पत्नि रमेश मेघवंशी,
5. ऋत्विक पुत्र रमेश नाबालिग जरिये सरंक्षक माता ज्योतिदेवी,
   समस्त निवासी घूघरा, तह0 व जिला अजमेर ।
6. श्रीमती विनोदी देवी पत्नि कैलाश, जाति हरिजन, निवासी गंवारड़ी, तह0 मेड़तासिटी, जिला नागौर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 9.11.2016.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांट संख्या 2 से 6.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 .

निर्णय

दिनांकः— 31.7.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 9.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में अपीलांट संख्या 1 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन) नियम 1970 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर स्थित आराजी खसरा नंबर 1937/2025 रकबा 10 बीघा भूमि गैर मु0 टीबा को अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 26.9.1971 को अप्रार्थी बाबू वल्द मुकना हरिजन, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था । वर्किंग जमाबंदी के खाता नंबर 419 में खसरा नंबर 1937/2025 रकबा 10 बीघा किस्म गै0मु0 टीबा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई । खसरा गिरदावरी संवत् 2039 से 2063 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना पाया गया । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई साथ ही विवादित आवंटित भूमि अर्न्तराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला क्षैत्र से

लगती हुई है एवं मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाती है । अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन आदेश नियमों के अंतर्गत आवंटन सलाहकार समिति एवं अपेक्षित कोरम के अभाव में विधिक प्रक्रिया के विपरीत किया गया है । अतः आवंटन निरस्त करने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 9.11.2016 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 26.9.1971 बाबत् खसरा नंबर 1937/2025 ग्राम गनाहेड़ा तह0 पुष्कर को निरस्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 बाबू पुत्र मुकना जाति हरिजन को ग्राम गनाहेड़ा स्थित साबिक खसरा नंबर 1801 हाल 1937/2025 में से 10 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.9.1971 को आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा व दखल सौंपा गया था जिसके आधार पर अपीलांट के नाम गैर खातेदारी तत्पश्चात् आवंटन नियमों की पालना करने के कारण उपरोक्त वर्णित आराजी वर्किंग जमाबंदी में अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज की गई थी । बरवक्त आवंटन अपीलांट विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं आवंटन शर्तो की पालना करने के कारण ही अपीलांट को गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जिसकी पुष्टि अधिकार अभिलेख से होती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 26.9.1971 को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि दौराने बंदोबस्त भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 1.2.1991 को गैर कानूनी रूप से उक्त खसरा नंबर में किए गए कुल 69 व्यक्तियों के आवंटन में से 7 के आवंटन आदेश इस आधार पर निरस्त कर दिए कि उक्त आराजी पुष्कर मेला ग्राउण्ड में अवस्थित है जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी एल0आर0एकट संख्या 114/97 पेश की गई जो दिनांक 10.2.2000 को स्वीकार की जाकर मान0 मण्डल द्वारा अपीलांट को हरिजन जाति का होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने तथा भूमिहीन काश्तकार होने के कारण आवंटन की जाकर कब्जा काश्त सौंपने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त होना मानकर भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 1.2.1991 को निरस्त किया है । उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा नामांतकरण संख्या 548 दिनांक 23.6.2004 को तस्दीक कर अपीलांट को खसरा नंबर 1937/2025 रकबा 10 बीघा का अधिकार अभिलेख में पुनः खातेदार दर्ज किया गया था । इस प्रकार आवंटन निरस्तीकरण बाबत् उक्त प्रकरण में पूर्व में ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है जिसके विपरीत जाकर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था तथा पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र संधारण योग्य ही नहीं था । मान0 मण्डल द्वारा एकबार आवंटन आदेश बहाल रखे जाने के उपरांत विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को आवंटन आदेश खारिज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने आवंटन खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट बरवक्त आवंटन से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन कुछ वर्षो पूर्व उक्त आराजी के चारो ओर खन्दग लगाई तब तहसीलदार, पुष्कर द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, पुष्कर के समक्ष प्रकरण संख्या 36/97 दर्ज कराया था जिस पर मान0 सिविल न्यायालय ने दिनांक 17.8.2004 को आदेश पारित कर आराजी खसरा नंबर 1937/2025 रकबा 10 बीघा पर अपीलांट को खातेदार काबिज होना मानकर धारा 91 (6) राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत अपराधी नहीं माना तथा दोष मुक्ति का आदेश पारित किया । इतना ही नहीं अवाप्ति प्रकरण संख्या 1/2006 के तहत भी अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 7.7. 2006 को अपीलांट को मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया गया जो उक्त भूमि का आंशिक भाग रेल्वे मार्ग हेतु अवाप्त किया गया है उसकी मुआवजा राशि भी अपीलांट को प्रदान की जा चुकी है किन्तु इस बाबत् रेस्पो0 द्वारा कोई चाराजोही नही की गई है जिससे भी यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलांटस की खातेदारी की होकर अपीलांटस के ही कब्जे काश्त में चली आई है । बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजी पुष्कर मेला ग्राउण्ड के सींव जोड़ की आराजी नहीं है वरन् मेला ग्राउण्ड एवं अपीलांट की आवंटित खातेदारी आराजी के मध्य ग्राम गनाहेड़ा की भूमि तथा अन्य खातेदारान की भूमियां अवस्थित है । तहसीलदार ने 69 आवंटन में से केवल मात्र अपीलांट के आवंटन को चुनौती दी है जबकि सभी आवंटियों के विरूद्ध समान रूप से कार्यवाही की जानी चाहिये थी । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राज्य सरकार द्वारा पारित अधिसूचना अनुसार एवं आवंटन नियमों के अनुसार पूर्ण कौरम में आवंटन किया गया है तथा पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए आवंटन किया गया है । अपीलांट को किया गया आवंटन लगभग 45 वर्षो के उपरांत बिना किसी आधार के निरस्त किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 9.11. 2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के हक में निष्पादित आवंटन आदेश दिनांक 26.9.1971 यथावत् रखा जाने के आदेश पारित करे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 610 राज0उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. विद्वान वकील अपीलांटस संख्या 2 लगायत 6 ने अपीलांट संख्या 1 की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांटस संख्या 2 लगायत 6 ने विवादित भूमि खातेदार बाबू पुत्र मुकना जाति हरिजन से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट संख्या 2 से 6 आवश्यक पक्षकार थे किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा आवंटन आदेश बहाल रखा जावे ।

7. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस द्वारा आवंटन आदेश की शर्तो की पालना नहीं की गई है तथा विवादित भूमि पुष्कर मेला ग्राउण्ड से लगती हुई आराजी है जो पुष्कर मेला के उपयोग में आती है । विवादित भूमि पर आवंटन के पश्चात् से अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2039 से 2063 से होती है । यह भी कथन किया कि आवंटन के समय कोरम भी पूर्ण नहीं था । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन व विश्लेषण कर अपीलाधीन आदेश से आवंटन आदेश निरस्त किया है जो विधिसम्मत आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 1 बाबू पुत्र मुकना जाति हरिजन को ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के साबिक खसरा नम्बर 1801 हाल 1937/2025 रकबा 10 बीघा का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत् आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.09.1971 को किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपीलांट को गैर खातेदार तत्पश्चात खातेदार दर्ज किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब की गई तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही भू–आवंटन सलाहकार समिति ने विधि सम्मत् आवंटन किया हैं। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन नियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवंटन किया गया हैं। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्घघोषणा जारी की गई है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच के पश्चात भूमि का आवंटन किया गया है।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त करने का प्रथम आधार खसरा गिरदावरी संवत् 2039 से 2063 में आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त साबित होना नहीं माना है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन के पश्चात् बाबू पुत्र मुकना, जाति हरिजन को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया था । इसके पश्चात् आवंटी को बेदखल किये जाने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । यही नहीं खसरा गिरदावरी संवत् 2039 में बाग, बाजरा व मोठ, संवत् 2040 में अमरूद नीम्बू, संवत् 2041 में अमरूद, नीम्बू, सवंत् 2042 में अमरूद, आम, व संवत् 2046 में बाजरा, मोठ की फसल काश्त किया जाना दर्ज है । इन खसरा गिरदावरियों के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने की उपधारणा नही की जा सकती है । आवंटी को गैर खातेदारी एवं खातेदारी अधिकार प्रदान करने से यह स्वंय सिद्ध है कि आवंटी ने काश्त की है । आवंटी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं होने का आक्षेप दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है । प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) में दूसरा आक्षेप बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कोरम के अभाव में आवंटन किये जाने का लगाया है किन्तु उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया जाना पाया जाता है । अतः इस आक्षेप की पुष्टि भी नहीं होती है । इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में तृतीय आधार आवंटित भूमि के अन्तराष्ट्रीय पशु मेला क्षैत्र से लगे होने तथा मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने का लगाया गया है । इस संबंध में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि मेला क्षैत्र के लिये प्रश्नगत आवंटित भूमि आवंटित नहीं की गई है अन्य भूमियां इस प्रयोजन हेतु आरक्षित/आवंटित की गई है जो जमाबंदियों को देखने से स्पष्ट है । प्रश्नगत भूमि को मेला क्षैत्र के उपयोग में लेने के आधार की भी पुष्टि नहीं होती है। मेला क्षैत्र आवंटित भूमि से पृथक होना जाहिर होता है ।

11. उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत नियम 14 (4) में प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करने हेतु जो आधार उल्लेखित किये गये है उनकी पुष्टि उपलब्ध रिकार्ड से नहीं होती है । आवंटी द्वारा यदि किसी आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है तो इस हेतु आवंटी को कोई नोटिस दिया जाना भी रिकार्ड से जाहिर नहीं होता है । इस प्रकार आवंटी द्वारा प्रश्नगत आवंटन के संबंध में आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होता है ।

12. आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवंटन निरस्त किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया हुआ है ।

13- "Conditions of Allotment- 14 (4) The collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer or a Tehsildar under the rules repealed by Rule 21 of the rules either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misreprsentation or has been made against rules or in case the allotee has committed breach of any of the conditions of allotment. provided that no such order to the prdjudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."

14. उक्त नियम के अनुसार ऐसा आवंटन, जो कपट से अथवा तथ्य छुपाकर अथवा मिथ्या व्यवपदेशन से अथवा नियम विरूद्ध हांसिल किया गया हो अथवा आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लघंन किया गया हो, को जिला कलक्टर निरस्त करने हेतु सक्षम है । प्रश्नगत आवंटन आवंटी द्वारा छल या कपट से अथवा तथ्य छुपाकर मिथ्या व्यपदेशन से या नियम विरूद्ध तरीके से कराया गया हो, ऐसा कोई आक्षेप वर्तमान प्रकरण में नहीं लगाया गया है।

15. उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत आवंटन आवंटी को खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् निरस्त किया गया है । इस संबंध में कानून की यह स्थिति है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के पश्चात् आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 86 के बिन्दु संख्या 9 में नियम 14 (4) के संदर्भ में प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी प्रदत्त होने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। खातेदारी अधिकारों के पश्चात् उसे टिनेन्सी अधिकार प्राप्त हो जाते है तथा इन्हें राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत ही समाप्त किया जा सकता है न कि आवंटन नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण में आवंटी को सन् 2004 में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे । आर0आर0डी0 1986 पेज 137 परथा बनाम पृथ्वीराज में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । इसके अतिरिक्त आर0आर0डी0 2001 पेज 206 नागाराम बनाम राज0 सरकार में एवं आर0बी0जे 1995 (2) पेज 780 में मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन नियम 14 (4) लागू नहीं होता है एवं इसके तहत आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि खातेदारी अधिकार प्राप्त होते ही राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्राप्त अधिकार मिल जाते है । इस तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में रेस्पो0 संख्या 1 का आवंटन नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत आवेदन कानूनन पोषणीयता की श्रेणी में नहीं आता है ।

16. उक्त कानूनी स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 1.2.1991 के विरूद्ध निगरानी संख्या 114/97 आवंटी बाबू द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 10.2. 2000 को निर्णय पारित करते हुए निगरानी को स्वीकार कर न केवल दिनांक 1.2.1991 के आदेश को गैर कानूनी बताया बल्कि स्वेच्छाचारी एवं दोषग्रस्त मानते हुए इसे निरस्त कर दिया तथा आवंटी बाबू का आवंटन बदस्तूर रखते हुए उसकी खातेदारी को यथावत् रखा है तथा यह भी आदेश दिया कि आवंटित भूमि से प्रार्थी आवंटी को बेदखल नहीं किया

जावे । इस प्रकार स्पष्ट है कि आक्षेपित आवंटन के बाबत् माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 10.2.2000 को पारित किया जा चुका था जिसके विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की चाराजोही किया जाना उपलबध रिकार्ड से जाहिर नहीं होता है। इस प्रकार वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांकित 10.2.2000 अंतिम रूप ले चुका है । मान0राजस्व मण्डल के इस आदेश के प्रभावी रहते अधीनस्थ न्यायालय विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा समान आराजी के बाबत् अन्य आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

17. उक्त समग्र विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रश्नगत आवंटन विद्यमान आवंटन नियमों के तहत उचित रूप से किया गया है तथा विधिविरूद्ध नहीं है ।

18. उक्तानुसार विधिक त्रुटियों के मध्यनजर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का प्रकरण संख्या 142/2007 में पारित आदेश दिनांकित 9.11.2016 को यथावत् नहीं रखा जा सकता है तथा इसी कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

19. फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 142/2007 में पारित आदेश दिनांकित 9.11.2016 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

20. निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर